



न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आसीन्द

बईजलास श्री संदीप कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 12/2022 निर्णय दिनांक 12.03.2022

माधुदास

बनाम खमरुलाल व लक्ष्मी [विस्तृत विवरण पुरत पर अंकित है।

उपस्थित - वकील प्रार्थी / प्रार्थीगण उपस्थित

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956

(1) प्रार्थी/ प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 LRA में इस न्यायालय में प्रस्तुत कर संक्षेपतः निवेदन किया कि प्रार्थी / प्रार्थीगण की निम्नांकित कृषि भूमि स्थित है -

क्र.सं.	नाम ग्राम	जमाबन्दी संवत	खाता संख्या	आ.नं.	रकबा	आ.नं.	रकबा	आ.नं.	रकबा	आ.नं.	रकबा
1	ने गाँव	2075-78	206	1274	0.14	658	0.34				
				1292	0.16	659	0.37				
				1293	0.19	660	1.20				

(2) प्रार्थी/ प्रार्थीगण की आराजियात के सीमा चिन्ह नही होने की वजह से विपक्षीगण के बीच आये दिन विवाद होता रहता है तथा घास काटने और पेड़ों की कटाई छंगायी को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थी की आराजियात की पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थी / प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त आराजियात की पत्थरगढी करवायी जाने का आदेश प्रदान करावें।

(3) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी/ अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी / अप्रार्थीगण के नाम की विधिवत रूप से आवाज लगवायी जाने पर उनके वावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं होने से उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश जारी किये हुये है / जारी किये जाते है। प्रार्थी / प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार / श्रवणाधिकार में स्थित है।

(4) पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया एवं पाया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी / प्रार्थीगण के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है तथा प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजियात की पत्थरगढी करवाये जाने के अधिकारी पाये जाने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है। अतः

क्रियात्मक- आदेश

प्रार्थी / प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वर्णित कृषि भूमि की राजस्व रेकार्ड अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है -

श्री भू.अ.निरीक्षक कावलास को 1000/-रु.की फीस पर कमीशर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है प्रार्थी / प्रार्थीगण से मौके पर कमीशर फीस जमा की जाकर इसका अंकन पालना रिपोर्ट में किया जावें। पत्थरगढी की कार्यवाही दिनांक से कम से कम तीन दिन पूर्व समस्त हितबद्ध पड़ोसी एवं खातेदारान को उक्त आराजियात की पत्थरगढी की जाने की लिखित सूचना जरिये पत्र समय एवं तिथि के अंकन के साथ दी जाना सुनिश्चित करें। प्रार्थी / प्रार्थीगणों की उक्त आराजियात की पत्थरगढी उभय पक्षकारान / मौतवीरान की उपस्थिति में कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुये मुश्तकिल बिन्दू को आधार मानते हुये की जावें। निर्णय की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार आसीन्द को भिजवायी जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर करें। निर्णय आज दिनांक 12.03.2022 को खुली अदालत में सुनाया गया।

अध्यक्ष
तालुका विधिक सेवा समिति
आसीन्द जिला भीलवाड़ा

सचिव
तालुका विधिक सेवा समिति
आसीन्द जिला भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आसीन्द

संदीप कुमार
सहायक कलक्टर (S.D.O.)
आसीन्द जिला भीलवाड़ा

क्रमांक / रीडर / 2022 / 239

दिनांक 12/03/2022

प्रतिलिपी तहसीलदार आसीन्द को प्रेषित कर लेख है कि निर्णयनुसार पालना करा पालना रिपोर्ट शीघ्र न्यायालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

अध्यक्ष
तालुका विधिक सेवा समिति
आसीन्द जिला भीलवाड़ा

सचिव
तालुका विधिक सेवा समिति
आसीन्द जिला भीलवाड़ा

संदीप कुमार
सहायक कलक्टर (S.D.O.)
आसीन्द जिला भीलवाड़ा

वादी गण

1. माधुदास शं० रामचन्द्र दास वैष्णव सा. कनेडिया
2. कमला शं० रामचन्द्र दास - " "
3. पुष्पा शं० रामचन्द्र दास " "
4. माधुदास शं० बालू दास - " "
5. लादीपुत्री बालूदास वैष्णव " "
6. सायरीपुत्री बालूदास वैष्णव " "

प्रतिवादी गण

1. सावलाल शं० गोपी बलाई सा. नेगडिया
2. गोपीपुत्र बल्लार बलाई - " -
3. चान्दी पत्नी गोकल बलाई - " -
4. नारायण शं० गोकल बलाई - " -
5. मदन पुत्र चैना बलाई - " -
6. नारायणी शं० श्रीभीलाल नट सा. नेगडिया
7. भूलाराम शं० श्रीभीलाल नट - " -
8. गोपी शं० लाल बलाई - " -
9. नारायण शं० लाल बलाई - " -
10. गोपील शं० बंशीलाल लुहार - " -
11. सत्यनारायण शं० बंशीलाल लुहार - " -
12. पूरण मल शं० बंशीलाल लुहार - " -
13. अंतरासिंह शं० रतनसिंह कारण - " -
14. हिम्मरसिंह शं० रतनसिंह कारण - " -
15. गजिन्दसिंह शं० रतनसिंह कारण - " -
16. रजाल कवंर शं० रतनसिंह कारण - " -
17. दुंगरसिंह शं० उकारदान कारण - " -
18. माधुसिंह शं० उकारदान कारण - " -
19. संतोष कवंर शं० नारायणसिंह कारण - " -
20. अंवर शं० मोहन कारण देरोगा
21. लालू पत्नी मोहन देरोगा - " -
22. सत्यनारायण शं० मोहन देरोगा - " -
23. गणपत शं० मोहन देरोगा - " -
24. अर्जुन शं० मोहन देरोगा - " -

[Signature]
अध्यक्ष

तालुका विधिक सेवा समिति
आसीन्द जिला भीलवाड़ा

[Signature]
अध्यक्ष
तालुका विधिक सेवा समिति
आसीन्द जिला भीलवाड़ा

[Signature]
अधीक्षक (S.D.O.)
आसीन्द जिला भीलवाड़ा